## गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा वर्ष ...... सम्मिलित होने हेतु।

## पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र (आवेदन-पत्र छात्र स्वच्छ अक्षरों में स्वयं भरें)

प्रति,	कुलसचिव, गुरु घासीदास बिलासपुर (छ:	विश्वविद्यालय, ग.)		
महोदय /	⁄ महोदया,			
	निवेदन है	कि मैं आपके विश्वविद्यालय द्वारा	आयोजित वर्ष की मु	ख्य परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता/
चाहती ह	्रं अतः नीचे दिये	गये विवरण के सदर्भ में पात्रता पत्र	जारी करने की कृपा करें।	
1.	. छात्र/छात्रा का नाम			
2.	पिता /पति व	ज नाम		
3.	जन्म तिथि			
4.	<ol> <li>छात्र / छात्रा किस कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता / चाहती है</li> </ol>			
5.				
	राष्ट्रा ।षषरन			
परीक्षा का नाम		उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक / प्राप्तांक	वि.वि. / बोर्ड का नाम
6	स्थायी पता			
6	स्थायी पता			
6	स्थायी पता			
6	स्थायी पता			
6	स्थायी पता			

मैं अपनी पूर्व संस्था में किसी अपराध के कारण निष्कासित नहीं किया गया हूं। मै वचन देता / देती हूं कि ऊपर दिये विवरण, 12 वीं उत्तीर्ण तथा अन्य अर्हतादायी परीक्षा तथा उसकी अंकसूची की सत्यापित प्रति जो संलग्न है वह सत्य है। यदि कोई भी तथ्य असत्य पाया जायेगा तो मेरी पात्रता निरस्त की जा सकती है, इसके लिये मैं स्वतः पूर्णतया उत्तरदायी रहूंगा / रहूंगी।

दिनांक	छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर
--------	---------------------------

टीप:-

- माध्यमिक शिक्षा मण्डल छ.ग. रायपुर को छोड़कर अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र/छात्राओं को पात्रता शुल्क रू.100/— (एक सौ रूपये मात्र) प्रवेश अंतिम तिथि के पूर्व जमा करना होगा।
- 2. प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद पात्रता प्राप्त करने के लिये रू.50/- विलम्ब शुल्क के रूप में जमा करना होगा।
- आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पांच दिवस उपरांत पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा। छात्र / छात्रा तदनुसार संपर्क करें।
- 4. निम्नांकित प्रमाण पत्र / प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है, इन प्रपत्रों के अभाव में पात्रता दिया जाना संभव नहीं है:-
  - 1. दसवीं / वारहवीं एवं समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची की सत्यापित प्रतियां
  - 2. निवास प्रमाण–पत्र
  - 3. पूर्व अध्ययनरत विश्वविद्यालय / बोर्ड का प्रवजन प्रमाण पत्र
  - 4. स्थानांतरित होकर आये व्यक्तियों हेतु स्थानांतरण /पदग्रहण करने का प्रमाण-पत्र
  - 5. गत परीक्षा उत्तीर्ण तथा वर्तमान परीक्षा में अंतराल हो तो गेप प्रमाण-पत्र
  - 6. यदि छात्र अन्य विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होना चाहता है तो इसके कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।